कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–823/ 362 नया रायपुर, दिनांक 10/02/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surguja Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 8.903 ha. regarding.**
पंजीयन कमांक– **FP/CG/OFC/42621/2019**

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–27/ 2020/ 10–2 दिनांक 03.11.2020
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./ न. क्र.–130/ 2020/ 161 दिनांक 29.01.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र –1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:–

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–43 में प्रदायित Form - IV में वनमण्डलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–43 में प्रदायित Form - IV वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल द्वारा हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है। (संलग्नक–1)
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–261 अनुसार राजस्व वनभूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर जिला सरगुजा के पत्र क्रमांक/ 1308/ अ. भू.अ./ दिनांक 14.01.2021 द्वारा राजस्व वनभूमि उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है। (संलग्नक–2)
3.	प्रस्ताव में वन विकास निगम से संबंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टीकल फाईबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्रधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया है।	वन विकास निगम के पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 02.12. 2020 द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्रमांक पी 183, पी 184 एवं पी.185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वन मंडल के अंतर्गत ही माना जावे। (संलग्नक–3)

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू—प्रबंध/विविध/115— 823/363 रायपुर, दिनांक 10 /02/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **मुख्य वन संरक्षक**, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **वन मंडलाधिकारी**, सरगुजा वन मंडल, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू—प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर (छ0ग0)

Ph.No. :- (O)07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E_Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0 / मा.चि. / न0क्र0–130 / 2021 161 अम्बिकापुर, दिनांक 27/01/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर।

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Sarguja Division "Bharatnet project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic Fiber cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber of 32,466 KM will involve 26 districts across the State" Area-8.903 ha.-regarding**
पंजीयन क्रमांक–FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम–115–823 / 2229 दिनांक 08.12.2020
2. वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल का पत्र क्र. / तक.अधि. / 140 दिनांक 23.01.2021
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) छ0ग0 रायपुर छ0ग0 का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / एल.एम–115–823 / 162 दिनांक 27.01.2021

—00—

विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र–1 द्वारा 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी तहत् वांछित बिन्दु क्र0 2 एवं 3 का पालन प्रतिवेदन, जो वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 एवं 3 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत है, के अनुसार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

क्र0	चाही गई जानकारी	विवरण
1	राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वनभूमि में लिए कार्यालयीन पत्र क्र0 / 1308 / अ.भू.अ. दिनांक 14.01. 2021 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है।)
2	प्रस्ताव में वन विकास निगम से संबंधित कुछ वनक्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वनक्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र–1180 दिनांक 02.12.2020) जिसमें मण्डल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र0 पी 183, पी 184 एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है। अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत ही माना जावे।

विविध (d:\dm\section\memo diversion\130-bharat net_srguja 2.doc

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
छत्तीसगढ़, रायपुर

9609
01/02/2021

वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र–3 द्वारा लेख किया गया है कि प्रकरण में उल्लेखित कक्ष क्र0 पी 183, पी 184 तथा पी 185 कार्य आयोजना दक्षिण सरगुजा वनमण्डल अवधि 1997–98 से 2006–07 के अनुसार पुराना कक्ष क्रमांक है। प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार प्रकरण में सम्मिलित पुराना एवं नया कक्ष क्रमांक का विवरण तथा परिक्षेत्र एवं बीट की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	परिक्षेत्र	बीट	पुराना कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	प्रकरण में सम्मिलित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
1	उदयपुर	सायर	पी 183	पी 2038	0.961
2	–"–	–"–	पी 184	पी 2039	0.686
3	–"–	–"–	पी 185	पी 2040	0.309
				योग :–	1.956

आवेदक संस्थान के द्वारा प्रकरण में पुराना कक्ष क्रमांक एवं वन विकास निगम उल्लेखित किये जाने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत मार्ग के समानांतर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वनभूमि 0.936 हे., कुल वनभूमि 8.903 हे. पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में उपरोक्तानुसार 1.956 हे. वनभूमि भी सम्मिलित है, जिसके लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में वनमण्डलाधिकारी सरगुजा वनमण्डल के संदर्भित पत्र–2 एवं 3 मय सहपत्र की प्रति अनुशंसा सहित संलग्न कर अवलोकनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :– संदर्भित पत्र–2 मय सहपत्र।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

पृ0क्र0 / मा.चि. / न0क्र0– 130 / 2021 162 **अम्बिकापुर, दिनांक** 29/01/2021
प्रतिलिपि :–

1. **वनमण्डलाधिकारी,** सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **मुख्य कार्य पालन अधिकारी,** छ0ग0 इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर एस.डी. सी. भवन सिविल लाईन्स रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर

d:\dm section\memo diversion\130-bharat net_srguja 2.doc

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड़, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja_200@rediffmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 140 अम्बिकापुर, दिनांक/23/1 /2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- **Diversion of forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surguja Division.Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project,connectivity will be provided at 5987 GPS &85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM.The laying of Optical Fiber cable of 32466KM. will involve 26 districts across the state,area-8.903 ha. regarding.**
Proposal no.-FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग.रायपुर का पृ0क्रमांक/2230 दिनांक 08.12.2020
2. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./5257 दिनांक 10.12.2020
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, रायपुर का पत्र क्रमांक/115 दिनांक 18.01.2021

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर आप्टिकल फाइवर बिछाने हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया था।

संदर्भित पत्र 03 के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रस्तुत की गई है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	विवरण
1	राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वनभूमि मे लिए कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1308/अ.भू.अ. दिनांक 14.01.2021 द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
2	प्रस्ताव में वन विकास निगम से संबंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1180 दिनांक 02.12.2020) जिसमें मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र. पी 183, पी 184 एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमण्डल के अंतर्गत ही माना जावे।

अवलोकनार्थ एवं निर्देशार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

पृ.क्र./तक.अधि./ 141 अम्बिकापुर, दिनांक/23/1 /2021

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लाक नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

E:/DM/FCA Proposal/Bharat Net Yojana/memo

कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 115 / समुकाअ / चिप्स / 2020 रायपुर, दिनांक 18/ 01 /2021

D.M.

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur
19/1

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,

सरगुजा वनमंडल, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़).

विषय : Diversion of forest Land for non-forest purpose onder forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase II Surguja Forest Division, which is a GOI initiative under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS and 85 Blocks through optical fiber cable laying approximately 32466 km, The laying of OFC will involve 26 district across the state, area – 8.903 ha regarding.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ : 1. आप का पत्र कमांक / तक.अधि.. / 1839 दिनांक 21.12.2020।

2. आवेदक संस्थान चिप्स का पत्र कमांक 2023 / समुकाअ / चिप्स / 2020 दिनांक 25.11.2020।

महोदय,

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारतनेट परियोजना फेस – 2 अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु कुल रकबा 8.903 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव में कार्यालय वन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बिन्दुओ में अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी जिसकी पूर्ति आवेदक संस्थान द्वारा की गई है । किन्तु नोडल कार्यालय द्वारा इसमें से बिंदु क्र. 2 एवं 3 को अमान्य करते हुए लेख किया गया कि बिंदु क्र. 2 एवं 3 के पूर्ण पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो पायेगा। इस परिपेक्ष में बिंदु क्र. 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस प्रकार है :–

218
19-1-21

बिंदु क्र.	चाही गई जानकारी	जानकारी का विवरण
2	अनुसार राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	कलेक्टर, जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वन भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1308 / अ.भू.अ. / 2021दिनांक 14.01.2021)
3	प्रस्ताव में वन विकास निगम से सम्बंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है।	वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया गया है। (पत्र क्र. 1180दिनांक 02.12.2020) जिसमे मंडल प्रबंधक द्वारा स्पष्ट किया गया है की प्रस्ताव में उल्लेखित वन कक्ष क्र. पी 183, पी 184, एवं पी 185 वन विकास निगम के अंतर्गत नहीं आ रहा है अतः उक्त वन कक्ष को सामान्य वनमंडल के अंतर्गत ही माना जावे।

बिंदु क्र. 2 एवं 3 में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 115/A / समुकाअ / चिप्स / 2020 रायपुर, दिनांक 18/ 01 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

संलग्नक - 3

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

कार्यालय मंडल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

दूरभाष एवं फैक्स : 07774 - 241187, EmailID :- Dmsarguja@rediffmail.com

क्रमांक/वविनि/स.प.मं./स्टोर/2020/ 1190 अम्बिकापुर, दिनांक : 02/12/2020

प्रति,

प्राधिकृत अधिकारी,
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
रायपुर (छ.ग.)

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur

विषय :– Diversion of forest land for non-forest purspose inder forest conservation act 1980 proposed for BHaratNet Project Phase-II Surguja Division Bharatnet Project which is a GOI initative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 PGs & 85 Blocks through optic fibre cable baying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State. Area 8.903 Ha. Reg. No. FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/मानेप्रो–11/वनभूमि/प्रस्ताव/2019–20 रायपुर दिनाँक 02.12.2020

—00—

महोदय,

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र में भारतनेट परियोजना फेस–2 के तहत् ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन कक्ष क्र. पी 183 (0.961 हे.), पी 184 (0.686 हे.) तथा पी 185 (0.309 हे.) कुल रकबा 1.952 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु लेख किया गया है।

तत्संबंध में सूचित किया जाता है कि कक्ष क्र. पी 183 (0.961 हे.), पी 184 (0.686 हे.) तथा पी 185 (0.309 हे.) वन विकास निगम के अंतर्गत नही है।

सधन्यवाद,

मण्डल प्रबंधक
सरगुजा परियोजना मण्डल
अम्बिकापुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 2

कलेक्टर सरगुजा, (भू–अभिलेख शाखा) अम्बिकापुर (छ० ग०)

क्रमांक /1308./अ०भू०अ०/2021 अम्बिकापुर, दिनांक 14/01./2021

(अनापत्ति प्रमाण–पत्र)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –2" के सफल कियान्वयन हेतु सरगुजा जिला क्षेत्र के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुंड्रा एवं मैनपाट ब्लॉक अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु भूमि व्यपवर्तन बाबत् प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु मार्ग में प्रभावित 0-936 हे. राजस्व वनभूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र "CEO छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) रायपुर" के नाम से प्रदान करने विषयक अनुरोध ।

सन्दर्भ:– प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का पत्र क्रमशः भानेप्रो–II/वनभूमि/एफआरए–अनापत्ति/ 2019–20/14, रायपुर दिनांक 5–10–2019 तथा पत्र कमांक भानेप्रो–II/वनभूमि/एफआरए–अनापत्ति/ 2019–20/14–B रायपुर दिनांक 15–12–2020

—000—

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) रायपुर, स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाइन रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –2" के तहत सरगुजा जिला क्षेत्र के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रान्तर्गत बतौली, लखनपुर, लुण्ड्रा एवं मैनपाट विकासखण्ड अन्तर्गत शामिल ग्राम पंचायतों के मार्ग समानांतर वनभूमि पर आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैरवानिक प्रयोजन हेतु ग्रामवार राजस्व वनभूमि की भू-प्रत्यावर्तन करना उल्लेखित किया गया है: –

राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ का जंगल)

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक.	रकबा (हे.मे.)	मद	रिमार्क
1	बतौली	चंवरपानी	420	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
2	बतौली	सरस्वतीपुर	307	0.003	बड़े झाड़ का जंगल	
3	बतौली	सरस्वतीपुर	566/3	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
4	लखनपुर	तीरकेला	221/1	0.062	बड़े झाड़ का जंगल	

कलेक्टर
सरगुजा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्रमांक,	रकबा (हे.में.)	मद	रिमार्क
5	लखनपुर	अमदला	474/1	0.061	छोटे झाड़ का जंगल	
6	लखनपुर	अमदला	494	0.036	छोटे झाड़ का जंगल	
7	लखनपुर	कुसू	1401/1	0.006	बड़े झाड़ का जंगल	
8	लखनपुर	कुसू	1/1	0.013	बड़े झाड़ का जंगल	
9	लखनपुर	कुसू	3/1	0.010	बड़े झाड़ का जंगल	
10	लखनपुर	गोरयापीपर	214/8	0.015	बड़े झाड़ का जंगल	
11	लखनपुर	अमदला	54/5	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
12	लखनपुर	अमदला	86/1	0.029	छोटे झाड़ का जंगल	
13	लखनपुर	कुन्नी	306/1	0.072	बड़े झाड़ का जंगल	
14	लखनपुर	कुन्नी	344/1	0.054	छोटे झाड़ का जंगल	
15	लखनपुर	माजा	303/1	0.020	छोटे झाड़ का जंगल	
16	लखनपुर	माजा	278/9	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
17	लखनपुर	कन्टिदा	133/1	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
18	लखनपुर	कन्टिदा	135/1	0.068	छोटे झाड़ का जंगल	
19	लखनपुर	तीरकेला	3/3	0.027	छोटे झाड़ का जंगल	
20	लखनपुर	तीरकेला	184/1	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
21	लखनपुर	जूनाडीह	38/2	0.039	छोटे झाड़ का जंगल	
22	लखनपुर	तीरकेला	197/32	0.022	छोटे झाड़ का जंगल	
23	लखनपुर	करई	123/10	0.015	छोटे झाड़ का जंगल	
24	लखनपुर	कुन्नी	1125/1	0.024	छोटे झाड़ का जंगल	
25	लखनपुर	कुन्नी	1046/18	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	
26	लखनपुर	करई	15/1	0.009	छोटे झाड़ का जंगल	
27	लखनपुर	करई	149/5	0.002	छोटे झाड़ का जंगल	
28	लखनपुर	बंधा	23/1	0.005	छोटे झाड़ का जंगल	
29	लखनपुर	बंधा	148	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
30	लखनपुर	कन्टिदा	657/1	0.001	छोटे झाड़ का जंगल	
31	लखनपुर	कन्टिदा	26/14	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	

कलेक्टर
सरगुजा (छ.ग.)

Scanned with CamScanner

क्र.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा कमांक.	रकबा (हे.मे.)	मद	रिमार्क
32	लखनपुर	कन्टिदा	136/8	0.014	छोटे झाड़ का जंगल	
33	लखनपुर	कन्टिदा	183/1	0.036	छोटे झाड का जंगल	
34	लखनपुर	अमदला	790/1	0.028	छोटे झाड़ का जंगल	
35	लखनपुर	गुमगराकला	392/1	0.031	छोटे झाड का जंगल	
36	लखनपुर	गुमगराकला	843/3	0.016	छोटे झाड़ का जंगल	
37	लुण्ड्रा	सायरराई	422/1	0.004	बड़े झाड़ का जंगल	
38	लुण्ड्रा	पुरकेला	214/1	0.008	छोटे झाड़ का जंगल	
39	लुण्ड्रा	लालमाटी	351/77	0.031	बड़े झाड़ का जंगल	
40	लुण्ड्रा	लालमाटी	321/2	0.008	बड़े झाड़ का जंगल	
41	लुण्ड्रा	लालमाटी	289/1	0.022	बड़े झाड़ का जंगल	
42	लुण्ड्रा	दिवरी	507/1	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
43	लुण्ड्रा	उदारी	642/1	0.010	छोटे झाड़ का जंगल	
44	मैनपाट	सरभंजा	1242	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
45	मैनपाट	सरभंजा	1243	0.001	बड़े झाड़ का जंगल	
46	मैनपाट	सरभंजा	1306	0.009	बड़े झाड़ का जंगल	
47	मैनपाट	सरभंजा	1090	0.002	बड़े झाड़ का जंगल	
48	मैनपाट	उडुमकेला	408/1	0.018	छोटे झाड़ का जंगल	
49	मैनपाट	असगावां	8/1	0.003	छोटे झाड़ का जंगल	
		योग		0.936		

चूंकि प्रस्तावित भूमि राजस्व अभिलेख में छोटे/बड़े झाड़ के जंगल मद में दर्ज है, जो राजस्व वन भूमि श्रेणी में है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रभावशील है। अतएव उक्त भूमि का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने के संबंध में विधिवत वन विभाग से भूमि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि वन विभाग द्वारा उक्त भूमि के संबंध में नियमानुसार भू-प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है संदर्भित फर्म/संस्था द्वारा विषयांकित कार्य के संपादन में ग्रामों स्थित धार्मिक या सामाजिक विन्यास को प्रभावित नहीं की जाती इस विभाग को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
सरगुजा (अम्बिकापुर छ.ग.)

Scanned with CamScanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड़, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा)

☎ 07774-240238 (0), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja 200@rediffmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 162 अम्बिकापुर, दिनांक / 27 / 01 /2021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :– **Diversion of forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Surguja Division.Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project,connectivity will be provided at 5987 GPS &85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM.The laying of Optical Fiber cable of 32466KM. will involve 26 districts across the state,area-8.903 ha. regarding.**
Proposal no.-FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ :– **कार्यालयीन पत्र क्रमांक / तक.अधि. / 140 दिनांक 23.01.2021**

—00—

विषयान्तर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर आप्टिकल फाइवर बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ–5–27 / 2020 / 10–2 दिनांक 03.11.2020 के बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में मण्डल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मण्डल अम्बिकापुर के पत्र क्रमांक 1180 दिनांक 02.12.2020 द्वारा लेख किया गया है कि भारत नेट परियोजना फेस–2 के तहत् ऑप्टिकल केबल बिछाने हेतु कक्ष क्रमांक पी 183, पी 184 तथा पी 185 वन विकास निगम के अन्तर्गत नहीं है। प्रकरण में उल्लेखित उक्त कक्ष क्रमांक कार्य आयोजना दक्षिण सरगुजा वनमण्डल अवधि 1997–98 से 2006–07 के अनुसार पुराना कक्ष क्रमांक है।

प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार प्रकरण में सम्मिलित पुराना एवं नया कक्ष क्रमांक का विवरण तथा परिक्षेत्र एवं बीट की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	परिक्षेत्र	बीट	पुराना कक्ष क्रमांक	नया कक्ष क्रमांक	प्रकरण में सम्मिलित वनभूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
1	उदयपुर	सायर	पी 183	पी 2038	0.961
2	उदयपुर	सायर	पी 184	पी 2039	0.686
3	उदयपुर	सायर	पी 185	पी 2040	0.309
		योग :–			**1.956**

आवेदक संस्थान के द्वारा प्रकरण में पुराना कक्ष क्रमांक एवं वन विकास निगम उल्लेखित किये जाने के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर आप्टिकल फाइवर बिछाने हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में उपरोक्तानुसार 1.956 हे. वनभूमि भी सम्मिलित है, जिसके लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

जानकारी अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

वनमण्डलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

E:/DM/FCA Proposal/Bharat Net Yojana/memo

चेक लिस्ट क्रमांक – 7

FORM- IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

i	परियोजना ब्यौरे :–	
i.	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है –	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 7.967 हे. वनभूमि एवं 0.936 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 8.903 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
ii.	अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नही हो)–	सरगुजा वनमंडल –8.903 हें. आरक्षित वन 0.290 हें. संरक्षित वन 7.677 हें. राजस्व वन 0.936 हें.
iii.	परियोजना की कुल लागत –	84 करोड़ 86 लाख
iv.	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जॉच की गई उनको दर्शाते हुऐ और नामंजूर करने के कारण बताएं जाऐ –	सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मॉग कि गई वनभूमि न्युनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है तथा तकनीकि दुश्टी कोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओ को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नही जा सकता है।
v.	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ –	सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बतौली , लखनपुर, लुंडरा एवं मैनपाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे।

vi.	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी –	सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बतौली , लखनपुर, लुंडरा एवं मैनपाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी
vii.	सृजित रोजगार	निरंक
2	**परियोजना स्कीम का स्थान :–**	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश –	छत्तीसगढ़
ii	जिला –	सरगुजा
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट –	संलग्न पेज क्रमांक से
3	**मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा –**	सरगुजा वनमंडल –8.903 हें. आरक्षित वन 0.290 हें. संरक्षित वन 7.677 हें. राजस्व वन 0.936 हें.
4	**शामिल वनभूमि का ब्यौरा –**	
i	वन की वैधानिक स्थिति (नामतः आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) –	सरगुजा वनमंडल –8.903 हें. आरक्षित वन 0.290 हें. संरक्षित वन 7.677 हें. राजस्व वन 0.936 हें.
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा –	आवश्यक नही है।
iii	वनस्पति की सघनता –	आवश्यक नही है।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार –	आवश्यक नही है।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नही –	आवश्यक नही है।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयो को संलग्न करें)	आवश्यक नही है।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा –	ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल रकबा 8.903 हें. भूमि उपयोग की जानी है।

viii	क्षेत्र में पाये जाने वाली दुलर्भ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां –	आवश्यक नही है।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है	आवश्यक नही है।
x	प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व	आवश्यक नही है।
5	**परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा –**	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	आवश्यक नही है।
ii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	आवश्यक नही है।
iii	विस्तृत पुनवार्स योजना –	आवश्यक नही है।
6	**क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे –**	
i	क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार –	आवश्यक नही है।
ii	क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र –	आवश्यक नही है।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढ़ाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम –	आवश्यक नही है।
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय –	आवश्यक नही है।
v	वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण–पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो)	आवश्यक नही है।

(39) (64)

vi	क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र –	आवश्यक नही है।
vii	पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल परिषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये –	आवश्यक नही है।
	a. पारेषण लाईन की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है।
	b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई –	आवश्यक नही है।
	c. मार्ग का अधिकार –	आवश्यक नही है।
	d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	आवश्यक नही है।
	e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या –	आवश्यक नही है।
	f. पारेषण टावरों की ऊंचाई –	आवश्यक नही है।
7	**सिंचाई / वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए –**	
i	कुल आवाह क्षेत्र –	आवश्यक नही है।
ii	कुल कमानु क्षेत्र –	आवश्यक नही है।
iii	कुल जलाशय स्तर –	आवश्यक नही है।
iv	उच्च बाढ़ स्तर –	आवश्यक नही है।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर –	आवश्यक नही है।
vi	परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) –	आवश्यक नही है।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र–	आवश्यक नही है।
viii	पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र–	आवश्यक नही है।
ix	पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नही है।

65

40

x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये)	आवश्यक नही है।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र –	आवश्यक नही है।
xii	विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना –	आवश्यक नही है।
xiii	कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में –	आवश्यक नही है।
8	**सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे –**	आवश्यक नही है।
9	**केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये –**	आवश्यक नही है।
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र	आवश्यक नही है।
ii	सड़क की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है।
iii	पहले बनाई जा चूंकि सड़क की कुल लम्बाई –	आवश्यक नही है।
10	**खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)**	आवश्यक नही है।
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र	आवश्यक नही है।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि –	आवश्यक नही है।
iii	वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार –	आवश्यक नही है।
iv	खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन –	आवश्यक नही है।
v	खनन कार्यो की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)	आवश्यक नही है।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना –	आवश्यक नही है।
vii	जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान –	आवश्यक नही है।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न कि जायें –	आवश्यक नही है।

ix	नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या —	आवश्यक नही है।
x	निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल —	आवश्यक नही है।
	a. खनन —	आवश्यक नही है।
	b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन —	आवश्यक नही है।
	c. अधिभार को जमा करना —	आवश्यक नही है।
	d. औजारो एवं मशीनों का भण्डारन —	आवश्यक नही है।
	e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नही है।
	f. शहर, आवास, कालोनियां —	आवश्यक नही है।
	g. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग का निर्माण	आवश्यक नही है।
	h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नही है।
xi	परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरु/ स्थापित न किये जाने के क्या कारण है	आवश्यक नही है।
xii	खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या —	आवश्यक नही है।
xiii	बारहमासी नदियों के मार्गो राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वो के खनन की दूरी —	आवश्यक नही है।
xiv	पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)	आवश्यक नही है।
xv	भूमिगत खनन कार्यो में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव —	आवश्यक नही है।
11	**लागत लाभ विश्लेषण —**	आवश्यक नही है।

12	क्या पर्यावरण स्वीकृति/अपेक्षित है (हां/नही) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये है (हां/नही)	आवश्यक नही है।
13	क्या अधिनियम का उल्लघन करते हुये कोई कार्य किया गया है.(हां/नही) यदि हां तो –	नही।
	a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे –	नही।
	b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी –	नही।
	c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही –	नही।
	d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुऐ कार्य किया जा रहा है –	नही।
14	कोई अन्य सूचना –	नही है।
15	संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे–	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज
	निम्नलिखित पहलुओं के बारें में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात –	भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 7.967 हे. वनभूमि एवं 0.936 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 8.903 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।
i.	इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद –	
ii.	क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है	
iii.	निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव –	
	a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति –	प्रस्तावित वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकडी आपूर्ति तथा आदिवासीयो और पिछाडे समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी
	b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका –	

iv.	कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें –	प्रकार का प्रभाव नही पड़ेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।

TATA PROJECTS LIMITED

प्राधिकृत अधिकारी
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
वास्ते – संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ

D.F.O.
Surguja Division
Ambikapur
वनमंडलाधिकारी
सरगुजा वनमण्डल,
जिला– सरगुजा, (छत्तीसगढ़).